राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सुदामा नगर, श्रीगंगानगर – 335001
E-mail: me.ganganagar@rajasthan.gov.in Tele : 0154-2463199

क्रमांकः खअ/श्रीगंगा/निलामी/2026/ दिनांक

प्रेषितीः

श्रीमान निदेशक महोदय,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
जयपुर।

विषयः नीलामी की सूचना प्रकाशन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय द्वारा खनिजों के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम हेतु की गयी कार्यवाही के दौरान जब्त किये खनिज बजरी को नीलाम किया जाना है। नीलामी की सूचना प्रकाशन हेतु सूचना प्रपत्र की 07 प्रतिया संलग्न है। नीलामी सूचना का प्रकाशन एक क्षैत्रीय/राज्य स्तरीय समाचार पत्र के स्थानीय प्रकाशन में दिनांक 08.05.2026 से पूर्व नियमानुसार न्यूनतम आकार में कराने की व्यवस्था करावें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(धीरज पंवार)
खनि अभियन्ता,
श्रीगंगानगर

क्रमांकः सम/ दिनांक

प्रतिलिपी– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान निदेशक महोदय, निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
3. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बीकानेर।
4. श्रीमान कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, श्रीगंगानगर।
5. सूचना पट्ट, कार्यालय जिला कलक्टर एवं कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।

खनि अभियन्ता,
श्रीगंगानगर

Signature valid
Digitally signed by Dhiraj Panwar
Designation : Mining Engineer
Date: 2026.05.05 17:01:59 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग,

सुदामा नगर, श्रीगंगानगर – 335001

E-mail: me.ganganagar@rajasthan.gov.in Tele : 0154-2463199

नीलामी सूचना

इस कार्यालय क्षेत्राधिकार में विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैंकिग के दौरान जब्तशुदा खनिज बजरी की निलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में निविदाऐं (दरें) दिनांक 22.05.2026 (समय सांय 5:00 बजे) तक कार्यालय खनि अभिंयता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सिलबंद लिफाफे कमेठी द्वारा दिनांक 25.05.2026 को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय में खोली जावेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क. स.	स्थान का नाम जहां जब्तशुदा बजरी पडी है	बजरी की अनुमादित मात्रा (टनों में)	बयाना/अमानत राशि	न्यूनतम निविदा राशि
1	मैसर्स एफसीआई अरावली एण्ड जिप्सम इंडिया लि. सूरतगढ के प्लॉट संख्या 294/01 व 294/02 वार्डनं. 06 रिको इण्ड. एरिया सूरतगढ।	485.00	25,220/–	2,52,200/–

निलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगीः–

1. निविदा सीलबन्द लिफाफें में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफें पर स्पष्ट रूप से पुलिस थाना/क्षेत्र/स्थल का नाम जहां बजरी पडी है, लिखा होना चाहिये। सभी निविदायें कार्यालय खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर रखें टेन्डर बोक्स में दिनांक 22.05.2026 (सांयकाल 5 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बेकर्स चैक जो संबंधित खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर के नाम हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग–अलग थाना परिसर/चौकी/स्थल की बजरी के लिए निविदा प्रस्तुत करता है, तो बयाना/अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट

Signature valid
Digitally signed by Dhiraj Panwar
Designation : Mining Engineer
Date: 2026.05.05 17:01:59 IST
Reason: Approved

/बेकर्स चैक अलग–अलग की संलग्न करने होगे । निविदा राशि 10 रू प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी।

3. निविदा पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि निविदादाता या निविदादाता फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथी से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल पर किया जा सकता है। इसकी जानकारी कार्यालय खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर के तकनिकी स्टाफ से भी ली जा सकती है।
5. जब्तशुदा बजरी संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल में जेसी भी जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपूर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदायें कमेटी द्वारा दिनांक 25.05.2026 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय खनि अभियन्ता, श्रीगगानगर में खोली जाकर उच्चतम निविददाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के तीन कार्यदिवस में सम्पूर्ण निविदा राशि के डीडी के साथ–साथ संबंधित बजटमद में जमा कराकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी। राशि जमा होने की तिथी से 15 एवं अधिकतम् 20 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी। अन्यथा जमा बयाना/अमानत राशि जब्त करते हुए बजरी पुनः राजकीय पक्ष में लेली जावेगी।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्चे) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा।
8. निविदादाता को पहचान पत्र/फोटो आई डी इत्यादि की प्रति, फर्म कें मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पन्नी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निवेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उर्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने

Signature valid

Digitally signed by Dhiraj Panwar
Designation : Mining Engineer
Date: 2026.05.05 17:01:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22015548

M e-Sign

से संबंधित समस्त सर्वाधिकार कमेटी के पास सुरक्षित होगा एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र श्रीगंगानगर होगा।

11. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर द्वारा वाहन के वजन क्षमतानुसार रवन्ना जारी किये जायेंगे तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी खनिज बजरी से भरा वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
12. सफलतम निविदादाता को बजरी परिवहन हेतु अवधि 15 दिवस सहित अधिकतम् 20 दिवस ही अनुमत होगा।
13. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय में कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तद्नुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
14. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इंद्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा।
15. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र में संबंधित उपर अंकित अधिकारियों को व्हाटसअप पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।
16. नीलामी की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगिता स्थान पर परिवहन करेगा।
17. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटों वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहन की फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
18. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा और इसमें सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
19. सफल निविदादाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।

Signature valid
Digitally signed by Dhiraj Panwar
Designation : Mining Engineer
Date: 2026.05.05 17:01:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22015548
M e-Sign

20. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्युअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
21. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
22. शेष सभी शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार रहेगी।

(e-Sign)
(धीरज पंवार)
खनि अभियन्ता,
श्रीगंगानगर

क्रमांकः—सम / दिनांकः—

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान निदेशक महोदय, खान एवं भू—विज्ञान विभाग, निदेशालय, उदयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर।
3. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर।
4. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., खान एवं भू—विज्ञान विभाग निदेशालय,उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
5. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर—जोन, जोधपुर।
6. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियंता, बीकानेर—वृत, बीकानेर।
7. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियंता(सतर्कता), बीकानेर।
8. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ / श्रीविजयनगर / अनूपगढ / सादूलशहर / श्रीगंगानगर।
9. श्रीमान तहसीलदार, सूरतगढ / श्रीविजयनगर / अनूपगढ / सादूलशहर / श्रीगंगानगर।
10. थानाधिकारी, पुलिस थाना सूरतगढ / श्रीविजयनगर / अनूपगढ / सादूलशहर / श्रीगंगानगर।
11. सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।
12. खनिकार्यदेशक / सर्वेयर कार्यालय हाजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

खनि अभियन्ता,
श्रीगंगानगर

Signature valid
Digitally signed by Dhiraj Panwar
Designation : Mining Engineer
Date: 2026.05.05 17:01:59 IST
Reason: Approved